

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग,  
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:- ल0सिं0मो0-अनियमितता-199/20-1356(मौ०) /पटना,दिनांक:-30/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,  
अधीक्षण अभियंता,  
मुख्यालय अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
लघु सिंचाई अंचल, पटना।

विषय:- जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत ग्राम-तुंगी में पर्ईन, आहर, तालब की खुदाई में आई भारी अनियमितता के संबंध में

प्रसंग- माननीय विधायक, राजगीर विधान सभा के पत्रांक 353/20 दिनांक-19.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम तुंगी निवासी श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह द्वारा की गयी अनियमितता से संबंधित शिकायत के आलोक में माननीय विधायक, राजगीर द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान योजनान्तर्गत ग्राम-तुंगी में पर्ईन, आहर, तालाब की खुदाई कार्य में बरती जा रही अनियमितता की जांच कराय जाने का अनुरोध विभाग से किया गया है।

अतः उक्त प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त तालाब एवं आहर खुदाई में आरोपित अनियमितताओं की जांच कर प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय तथा विषयांकित योजना का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। यदि संवेदक तथा अभियंता दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु०)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1356(मौ०)

/पटना, दिनांक-30/6/2020

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक, राजगीर (नालंदा) Email-ravijyoti2000@yahoo.com को सूचनार्थ प्रेषित/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु०)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1356(मौ०)

/पटना, दिनांक-30/6/2020

प्रतिलिपि:- सत्येन्द्र नारायण सिंह, ग्राम+पो०-तुंगी, प्रखंड-बिहारशरीफ, जिला-नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

30/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु०)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

रवि ज्योति कुमार  
सदस्य  
बिहार विधान सभा  
173, राजगीर (नालन्दा)



पत्रांक : 353/20/राजगीर

दिनांक : 19.06.2020

प्रधान सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना।

ग्रा.सं.नं. 200/20

विधान सभा के तहत ग्राम- तुंगी में पैड़न, आहर, तालाब की खुदाई में आई भारी अनियमितता के संबंध में।

20  
JUN 2020

सत्येन्द्र नारायण सिंह, ग्राम+पो- तुंगी, प्रखण्ड- बिहारशरीफ, जिला- नालन्दा के द्वारा दिये गये आवेदन को स्विकार कर भेजते हुए कहना है कि राजगीर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जितने भी जल जीवन हरियाली योजना के तहत कार्य की गई है। उसमें संवेदक एवं अभियंताओं के मिली भगत से सारे के सारे कार्य में अनियमितता बरती गयी है। जिसका एक उदाहरण सत्येन्द्र नारायण सिंह ग्राम- तुंगी का आवेदन से ही स्पष्ट चल जायेगा। खुदाई के नाम पर तालाब की बगल की मिट्टी निकाल कर किनारे भर दिये जाते हैं एवं तालाब की खुदाई नहीं हो पाती है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त तथ्यों एवं बिन्दुओं पर स्वतंत्रता पूर्वक किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। जिससे कोई भी संवेदक एवं अभियंता सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं का गलत उपयोग न कर सकें। साथ ही कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करायी जाय।

ह/

(रवि ज्योति कुमार)

प्रतिलिपि:- सत्येन्द्र नारायण सिंह (मो 9431840699) ग्राम+पो- तुंगी, प्रखण्ड- बिहारशरीफ, जिला- नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।



पत्राचार पता (स्थायी पता) : ग्राम+पो- दीपनगर (बास्तु बिहार के बगल में), पिन कोड : 803111, जिला - नालन्दा  
पटना का पता : "सी ब्लॉक - 204", दरोगा राय पथ, पटना  
संपर्क सूत्र : E-mail/Facebook : ravijyoti2000@yahoo.com, Whatsapp No. : 9431406144  
मोबाईल : 9431402749

रवि

देव

17/6

20/6

2890 (मौज)

23-06-2020

माननीय प्रधानमंत्री जी,  
राजगौर विधान सभा क्षेत्र  
नामिका ।

विषय - जल जनित हारेमाली योजना के तहत ग्राम-तुंगी में  
से बैंगन, काहर, नालाव की खुदाई में कार्य जारी  
आविष्कारना के राखना में ।

महोदय, विवेकभक्ति विधान क्षेत्र योजना ग्राम-तुंगी में  
कार्यरत है। तब कार्य तब समाप्त होने में पूरा नहीं किया जा सका  
है। येन को खुदाई की गई है छोटी पुल, पुलिया का निर्माण पूरा  
नहीं किया गया है। फलतः येन से परतन के लिए पानी रोक  
के लिए निर्मा नहीं जा सकता। नदी से पानी येन के माध्यम  
से ग्राम को समाप्त में आसानी और बिना परतन बिने दूसरे लाड  
निगाह के सारने नदी में नहीं जायेगी। ग्राम येन खुदाई योजना  
आविष्कार है। काहर की खुदाई की ही नहीं गई। नालाव की  
खुदाई विभाग से कुछ ही गई। खुदाई के नाम पर नालाव की  
काल की मट्टी निकाल कर निकाले भरे गये। नालाव की खुदाई  
नहीं हो गई।

इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार (मार्च 2018) 64 से

संघ रिपोर्ट निर्माता के कार्यपालक आगमना के पास गुहार  
लाई। तब कार्य को तब समाप्त होने में आसानी बरतने की बात  
तो दूर के कार्यरक्षण का सीरिडिशन कपने भी कपने (नियोगी  
तदुपरी पलायिकारी से नहीं किया जा कराना)।

आम निर्माण से आगोष है कि उपरोक्त बातों के

आलोच में कपने तुरंत के प्रभाव से कार्यपालक आगमना  
संघ जल संसाधन प्रमुख विद्या शर्मा के आग्रह विना  
निर्देश कर एवं निर्माणकर्तुओं से पूर्ण है।

आपका विश्वसनीय  
सोहनाराम सिंह -  
ग्राम-तुंगी -